पंचायत निगरानी संख्या : 302/2024
उनवान : अमृतलाल चौहान बनाम उमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 302/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/384

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
अमृतलाल चौहान पुत्र श्री कानाराम जाति सुथार, निवासी कोटड़ी, तहसील देसूरी, जिला पाली हाल निवासी 301, शुभ लक्ष्मी सी.एच. एस. लिमिटेड़, बी.पी.रोड़, साई बाबा होस्पीटल जवल, ठाणे महाराष्ट्र।	बनाम	1. उमाराम पुत्र पोकरजी मेघवाल निवासी कोटड़ी तहसील देसूरी जिला पाली राज. 2. सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत कोटड़ी तहसील देसूरी, जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत कोटड़ी के पंचायत प्रस्ताव आदेश दिनांक 20.08.2004 एवं निरस्त किये जाने मिसल संख्या 02/2003–2004 जरिये पट्टा संख्या 83 दिनांक 20.08.2004 को जारी किया गया जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश पारंगी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण भण्डारी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 18.07.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पेश कर ग्राम पंचायत कोटड़ी के पंचायत प्रस्ताव आदेश दिनांक 20.08.2004 एवं निरस्त किये गए मिसल संख्या 02/2003–2004 जरिये पट्टा संख्या 83 दिनांक 20.08.2004 को जारी किया गया जिसे अपास्त करवाने हेतु प्रस्तुत की।

प्रस्तुत निगरानी याचिका अनुसार प्रार्थी का एक रहवासीय पक्का मकान गांव कोटड़ी की आबादी भूमि में मालिकाना हक हकूक का आया हुआ है तथा प्रार्थी के मकान के पास ही पूर्व दिशा की ओर प्रार्थी का कब्जा शुदा पुश्तैनी बाड़ा आया हुआ है जिसमे प्रार्थी की ओर नीवें खोदकर उसकी पत्थरों से व सीमेंट से भरवाई गई और मौके पर अभी भी प्रार्थी के छीणों के टुकडे व दो टोली पत्थर पडे है लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त विवादित परिसर का बिना मौका देखे, बिना कब्जा तत्कालीन सरपंच ने दिनांक 20.08.2004 को अप्रार्थी संख्या 01 से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 302/2024
उनवान : अमृतलाल चौहान बनाम उमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

मिलावट करके फर्जी पट्टा 83 तैयार करके मुख्य मंत्री रोजगार योजना के तहत कियोस्क निर्माण के रुप में जारी कर दिया जो निम्न आधारों पर खारिज किये जाने योग्य है:–

- प्रार्थी का पक्का रहवासीय मकान मालिकाना कब्जा सुदा गांव कोटड़ी की आबादी भूमि में आया हुआ है तथा प्रार्थी के मकान के पास ही पूर्व दिशा की ओर प्रार्थी का कब्जा सुदा पुश्तैनी पुराना बाडा आया हुआ है जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 का कभी भी कब्जा नहीं रहा एवं अप्रार्थी संख्या 01 व अप्रार्थी संख्या 02 तत्कालीन सरपंच महोदय ने मिली भगत करके अप्रार्थी संख्या 01 को लाभ पहुँचाने लिए उक्त फर्जी पट्टा, बिना ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर किये तैयार किया है जो कानुनन गलत है।
- अप्रार्थी संख्या 01 ने वादग्रस्त परिसर का पट्टा व दायरा दिनांक 02/2003–2004 का प्रार्थना पत्र मय आवेदन अन्तर्गत सामान्य नियम 256 के तहत ग्राम पंचायत कोटडी को प्रस्तुत नही किया था। साथ ही नियम 256(1) व (2) के तहत शुल्क जमा नही करवाया था एवं अप्रार्थी का आवेदन ग्राम पंचायत द्वारा प्रपत्र संख्या 49 में रजिस्ट्रर मे दर्ज नही किया गया। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा नियम 257(1) के तहत स्थल का नक्शा व निरीक्षण नहीं किया गया। मौके पर गैर सायल व नक्शा नवीस द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये। नियम 258 (1) व (2) के तहत तीन वार्ड पंचो की कमेठी गठित नही की गई। तथा वार्डपंचो ने किसी प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है तथा उक्त पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नही है जिससे भी आदेश व पट्टा खारिज होने से व निगरानी स्वीकार करने योग्य है।
- ग्राम पंचायत कोटडी ने दिनांक 20.08.2004 को अप्रार्थी संख्या 1 को आवासीय भूमि का पट्टा जारी किये जाने अस्थाई अंतिम विनिश्चय का प्रस्ताव अन्तर्गत नियम 259(1) व (2) के अनुरुप पारित नही किया और न ही ग्राम पंचायत ने आम आपत्ति नोटिस जारी किया तथा न ही नियम 260 (1) व (2) के तहत आम आपत्ति नोटिस प्रपत्र संख्या 50 को दो प्रतियो मे जारी कर सम्पति व नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक स्थल पर चस्पा किया है जिसमें भी जैर निगरानी आदेश काबिले खारिज हैं।
- ग्राम पंचायत ने आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने में पंचायत राज अधिनियम व सामान्य नियम 261 की पालना नही करते हुए दिनांक 20.08.2004 को ही पट्टा जारी कर लिया जबकि आम आपत्ति नोटिस जारी करने के बाद ही आपत्ति बाबत पूरे परिवार व पड़ौसियों के बयान दर्ज नहीं किये गये व आदेशात्मक प्रोविजन की पालना नही की है तथा अडौस पडौस के बयान भी लिये जाने थे। परन्तु ग्राम पंचायत ने उसी रोज पट्टा जारी कर दिया इस कारण उक्त आदेश मय पट्टा काबिल खारिज है।
- ग्राम पंचायत में आवेदन दर्ज करने, नक्शा शामिल मिसल करने, वार्ड पंचों की मौका रिपोर्ट शामिल करने, आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने का अस्थाई निर्णय पारित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर वाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
वाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 302/2024
उनवान : अमृतलाल चौहान बनाम उमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

किये जाने आम आपत्ति नोटिस जारी करने, पट्टा जारी करने का अंतिम निर्णय बाबत् तमाम आदेशिका का पंचायत बैठक में रजिस्टर में दर्ज नहीं किया। इस कारण अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तत्कालीन सरपंच महोदय ने कानून को ताक में रखकर व तथ्य छिपाकर आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने का भंयकर गैर कानूनी कृत्य किया है। इस कारण प्रार्थी की निगरानी स्वीकार करने योग्य है।

- ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच ने नियम (घ) के तहत ग्राम कोटडी की विद्यमान बाजार कीमत कर एक तिहाई मुल्य वसूल नही किया है तथा अप्रार्थी ने सामान्य नियम 267, व 267(क) के तहत रियायती दर पर पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी नही था। इस कारण भी प्रार्थी की निगरानी स्वीकार करने योग्य है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में मिसल संख्या 02/2003–2004 के जरिये दिनांक 20.08.2004 के तहत जारी किया गया आवादी भूमि का बुक संख्या 02 का पट्टा संख्या 83 गैर कानूनी जारी किये जाने से खारिज फरमावें।

निगरानी याचिका से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जरिए पत्रांक/121 दिनांक 31.12.2024 द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण से सम्बन्धित मिसल, बैठक कार्यवाही विवरण तथा पट्टा बुक ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में उपलब्ध नही है।

रेस्पोडेण्ट संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण भण्डारी उपस्थित आए। रेस्पोडेण्ट संख्या दो बावजुद तामीली के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

विचाराधीन निगरानी पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने का निश्चय किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस निवेदन किया कि आलोच्य पट्टा मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत कियोस्क निर्माण हेतु जारी करना अंकित है, किन्तु उक्त पट्टे पर सचिव ग्राम पंचायत के भी हस्ताक्षर नहीं है और सरपंच ग्राम पंचायत के साथ मिलीभगत कर रेस्पोडेण्ट द्वारा अपने पक्ष में अवैध पट्टा जारी करवाया गया। आलोच्य पट्टे हेतु न तो मिसल कायम की गई और यह भी निवेदन किया कि उक्त पट्टे के समर्थन में न ही कोई पंचायत का संकल्प पारित किया गया है। उक्त पट्टे की भूमि प्रार्थी के पड़ौस में स्थित है तथा प्रार्थी के कब्जाधीन होने से उसके द्वारा ही उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। बहस को समेकित करते हुए काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष द्वारा आलोच्य पट्टे को ख़ारिज करने का निवेदन किया।

इसके प्रत्युतर में काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक ने निवेदन किया कि प्रार्थी आलोच्य पट्टे को चुनौति देने हेतु 'हितबद्ध व्यक्ति' की श्रेणी में शुमार नहीं होने से अधिकृत नहीं है। यह भी, कि अप्रार्थी को रोजगार हेतु सरकारी योजना मुख्यमंत्री रोजगार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
वाली जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 302/2024
उनवान : अमृतलाल चौहान बनाम उमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

योजना के अन्तर्गत कियोस्क निर्माण हेतु उक्त भूमि का पट्टा जारी किया गया है तथा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के अन्तर्गत विहित सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना की गई है। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाए। अधिवक्ता उभयपक्ष ने जैर आलोच्य पट्टे से सम्बन्धित भूमि का नवीनतम फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया, जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली व सलंग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ज़ैर आलोच्य पट्टे से सम्बन्धित भूमि स्वयं के भूखण्ड के समीप एवं अपने कब्जाधीन होने का अंकन किया है। यद्यपि प्रतिकुल कब्जे से कोई वैध अधिकार सृजित नहीं होते हैं किन्तु प्रार्थीपक्ष का यह तर्क आलोच्य पट्टा दस्तावेज की चतुर्दशी से प्रमाणित होता है कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड के पश्चिम दिशा में प्रार्थी के पिता श्री कानाराम सुथार का भूखण्ड स्थित है। अतः प्रार्थी को 'हितबद्ध व्यक्ति' की श्रेणी में माना जाकर आलौच्य पट्टे की वैधता का परीक्षण करने का निश्चय किया जाता है।

प्रार्थीपक्ष द्वारा आलोच्य पट्टे के विरुद्ध यह भी उज़र लिया गया है कि उक्त पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में उपबन्धित प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा पत्र दिनांक 31.12.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ज़ैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल, बैठक कार्यवाही विवरण तथा पट्टा बुक ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष भी बचाव में पूर्वोक्त मिसल, कार्यवाही विवरण इत्यादि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने में असफल रहे है। रिकॉर्ड के अभाव में निगरानी में अंकित पैरवार आक्षेपों की तस्दीक नहीं की जा सकती कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना की गई है अथवा नहीं। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से दो महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आते हैः–

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आलोच्य पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि से यह ज़ाहिर होता है कि कि पट्टे पर सचिव ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर अंकित नहीं है एवं मात्र सरपंच एवं उपसरपंच के हस्ताक्षर से यह पट्टा जारी किया हुआ है।
2. अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत जैर आलोच्य भूमि के नवीनतम फोटोग्राफ में उक्त भूखण्ड पर कोई निर्माण दृष्टिगोचर नहीं होता है। अर्थात यदि अप्रार्थीपक्ष का यह तर्क स्वीकार भी कर लिया जाए कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को उक्त पट्टा मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत कियोस्क निर्माण हेतु जारी किया गया था, तो भी अप्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड का आदिनांक कियोस्क निर्माण हेतु उपभोग नहीं किया गया है। यानि कि अप्रार्थी को जिस प्रयोजनार्थ आलोच्य भूमि विक्रय जारी किया गया था, अप्रार्थी पट्टाधारी द्वारा आलोच्य भूखण्ड का उस प्रयोजनार्थ उपयोग ही नहीं किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 302/2024
नवान : अमृतलाल चौहान बनाम उमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

उपरोक्त वजुहातों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा संख्या 83 बज़तरफ श्री उमाराम अपास्त किया जाना न्यायोचित है, ऐसा न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है तथा श्री उमाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जारी भूमि विक्रय विलेख संख्या 83 दिनांक 20.08.2004 को अपास्त किया जाता है।

साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत कोटड़ी को पुनप्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि आलोच्य पट्टे से सम्बन्धित भूमि की पुनः निलामी आयोजित कर नियमानुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही उक्त भूखण्ड का अन्तरण करें।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। निर्णय की पालनार्थ ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कोटडी को तहरीर जारी हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner